अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी

विचारगोष्ठी की रिपोर्ट : दिल्ली घोषणा

"संसार के सभी प्रबुद्ध लोग और हमारे सुंदर संसार के प्रत्येक भाग में कार्यरत मीडिया और मीडिया संगठन अपने सतत प्रयासों में एकजुट रहें, ताकि वे पूरे विश्व में कार्य करने वाले एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो मानव जीवन की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने और करुणा, प्रेम तथा सम्मान के साथ विश्व में परस्पर मैत्री, शांति और खुशहाली को बढ़ावा देने और किसी के प्रति द्वेष न रखने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित हो|"

इलीनोर रूजवेल्ट

भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा नई दिल्ली, भारत में आयोजित दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी में मीडिया के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया गया ताकि वह मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संबंध में और उसके पालन के संबंध में वैश्विक प्रोन्नति का जायजा ले सके और पूरे विश्व के प्रेस परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं पर संव्यवहार और विचारों का आदान-प्रदान कर सके । इस विचारगोष्ठी में व्यक्त किए गए विचारों में, (i) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सिविल सोसाइटी का अधिकार, (ii) मीडिया मानव अधिकारों का रक्षक, (iii) मानव अधिकार के अतिक्रमण पर रिपोर्टिंग, और (iv) शांतिपूर्ण पत्रकारिता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया । व्यक्त किए गए इन विचारों में मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 19 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें यह कहा गया है कि "प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में वह स्वतंत्रता भी शामिल है, जिसके अंतर्गत बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखी जा सकती है और किसी भी मीडिया के

माध्यम से सूचना और विचार मांगे जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं और दिए जा सकते हैं और अपने-अपने देशों में अपने अनुभवों का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान कर सकते हैं|"

इस शैक्षिक विचारगोष्ठी में यह बात स्वीकार की गई कि हालांकि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव अधिकारों का अभिन्न अंग है, तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा संबंधी अध्याय में इसे पूरी मान्यता प्राप्त है हालांकि इसके विपरीत, बोलने और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता कई देशों की जनता को प्राप्त नहीं है । ऐसे देशों में लोगों की आवाज़ को सत्ताधारी प्राधिकारियों द्वारा आंशिक रूप से या व्यापक रूप से नियंत्रित किया जाता है| इसके परिणामत: स्वतंत्र मीडिया की संकल्पना आज भी कई ऐसे देशों में एक सपना है, जहां सत्ताधारी प्राधिकारी अपने लोगों और अपने मीडिया को यह अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे इस अभिन्न मानव अधिकार का खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें । अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक विचारगोष्ठी में भाग लेने वाले देशों ने बोलने की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के परिदृश्य में अपने-अपने देशों की स्थिति पर प्रकाश डाला और यह राय व्यक्त की कि भारत सहित कई देशों में लोगों के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं किया गया है अपितु उसका सम्मान भी किया गया है और इसके परिणामत: मीडिया उग्र रूप से स्वतंत्र है । ऐसे देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र प्रेस पूरी तरह स्वीकृत मीडिया नैतिकताओं का पालन करते हुए कार्य करे । इसके विपरीत कई देशों में, जहां लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है और ऐसे देशों में जहां मीडिया को भी स्वतंत्र प्रेस के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती, वहां विश्व के सभी मीडिया संगठनों और मीडिया संघों के लिए यह चिंता की बात है कि वह कौन से प्रभावी तौर-तरीके निकाले जिनसे उन्हें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके|

मीडिया पर घातक हमलों घटनाओं पर विचार करते हुए स्टेकहोल्डरों ने यह पाया कि पिछली एक शताब्दी से मीडिया विभिन्न रूपों में संघर्ष कर रहा है ताकि वह जनहित और महत्त्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अभिव्यक्त करने के लिए बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार को बढ़ावा दे सके और उसे सुदृढ़ कर सके । इस प्रकार मानव अधिकारों की आड़ में मीडिया की स्वतंत्रता पर चर्चा की गई ताकि संबंधित मुद्दों के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त किए जा सकें ।

मीडिया को इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त होती है और उसका यह अधिकार और कर्त्तव्य भी है कि वह लोगों तक विधिमान्य और उपयोगी सूचना भेजे क्योंकि इससे लोगों को बेहतर शासन प्राप्त करने में मदद मिलती है| इस दृष्टि से मीडिया की स्वतंत्रता "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने के मानव अधिकार का विस्तार नहीं, तो उसका एक भाग तो है ही । "लेकिन यदि मीडिया स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो तब वह मानव अधिकारों का दुरुपयोग करता है ।" मीडिया द्वारा परीक्षण, पेड न्यूज़, स्टिंग आप्रेशन, सतर्कता संबंधी कुछ कार्य और किसी के निजी जीवन में घुसपैठ मीडिया की ऐसी कुछ प्रवृतियां हैं जिनसे मानव अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग किया जाता है|

ऐसी स्थिति में, प्रेस/मीडिया परिषदों का अस्तित्व आवश्यक हो जाता है ताकि वह पत्रकारिता के व्यवसाय में नैतिकता और मानकों को बढ़ावा दे सके और अपने-अपने देशों में निर्धारित नैतिकताओं का पालन कर सके|

व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों को लिपिबद्ध कर दिया गया है|

निष्कर्ष

1. मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में इस बात को मान्यता प्रदान की गई है कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं । यह प्रतिष्ठा और इससे पैदा होने वाली समानता वाली स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अभिन्न और एक-दूसरे पर आश्रित हैं । और एक-दूसरे पर आश्रित हैं । पूरे विश्व के स्टेकहोल्डरों ने जनता की ओर से प्रेस के अधिकार को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने के लिए जनहित और महत्त्वपूर्ण मामलों पर स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से विचार व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस की|

2. मीडिया का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह मानव अधिकार के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करे । लेकिन ऐसे उल्लंघन के मामलों पर रिपोर्ट करते समय मीडिया को यथार्थ, निष्पक्ष और उद्देश्यपरक रहना चाहिए । मानव अधिकार समूहों द्वारा मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने संघर्ष में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया प्रभावी रूप से काम पर लगाया जा सकता है|

3. क्योंकि मीडिया समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने का यह सबसे उपयुक्त तरीका है । लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हालांकि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार मूलभूत मानव अधिकार है, तथापि यह सीमिहीन नहीं है । ये सीमाएं तभी लागू होती हैं जब विशेष परिस्थितियों को संकीर्णता से परिभाषित किया जाता है|

4. समाचारों और सूचनाओं के व्यापक प्रसारण वाले मीडिया के इस नए युग को नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वह समाज के मूल्यों की संकल्पना को बेहतर समझ

सके और सिविल सोसाइटी को इस प्रकार अधिक से अधिक संवेदनशील, सहनशील और करुणा से परिपूर्णता की ओर अभिप्रेरित कर सके जिससे शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम की जा सके|

5. मीडिया के कुछ वर्ग साधन-संपन्न लोगों के प्रति गहरा झुकाव रखते हैं । यह विरोध उस स्थिति में स्पष्ट रूप से किया जाता है जब धनी और मध्यम वर्ग के मानव अधिकारों के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं । हालांकि साधन-संपन्न लोगों के अधिकार को बनाए रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साधनहीन लोगों के अधिकारों पर भी अधिक नहीं तो उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए ।

6. मीडिया ने मानव अधिकारों के उल्लंघन को छुट-पुट और इक्का-दुक्का घटना बताया है । लेकिन मीडिया उन्हें सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रिया और आर्थिक नीति से नहीं जोड़ पाया है जिनके कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है|

7. मीडिया टकरावों को दूर करने और कम करने तथा शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायक सिद्ध हो सकता है । विश्व के सभी देशों की शांति और संपन्नता समस्त मानव जाति का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए और मानवता तथा विश्व शांति के लिए सेवारत मीडिया को चाहिए कि वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का सतत प्रयास करे ।

8. निजता बनाम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवेदनशील और विचार-विमर्श का मुद्दा है । अधिकांश लोगों का विचार है कि उस स्थिति में निजता का अतिक्रमण हो जाता है, जब लोकहित का महत्व अधिक होता है, उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार के मामले में जब सुशासन या पार्श्व रूप में गुटबंदी आदि होती है ।

सिफ़ारिशें

1. पूरे विश्व के मीडिया विनियामक निकायों/मीडिया संगठनों को चाहिए कि वे विश्व जनमत तैयार करें और मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे यू.एन और विभिन्न अन्य संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करें, ताकि स्वतंत्र राष्ट्र की भावना और यू.एन.चार्टर के खिलाफ कुछ राष्ट्रों द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अनुचित रूपसे इंकार करने से रोकने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, अकेले किसी भी राष्ट्र के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करना कठिन है । अन्य राष्ट्रों द्वारा विरोध के लिए सशक्त आवाज उठाना और जनमत तैयार करना आवश्यक है ताकि यह अधिकार अनिवार्य रूप में दिया जाए, इस प्रकार का दबाव विशेषत: उन राष्ट्रों में अधिक आवश्यक है, जहॉ बहु-भाषा, बहु-जातीयता और बहु-धार्मिक विश्वास समाज के नाजुक मुद्दे है और जो प्राय: रूढिवादियों और फूट डालने वाले तत्वों से पीडित हैं ।

2. मीडिया की रिपोर्टिंग में उस समय अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है जब वह मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हों और उस समय बहुत सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए ताकि अभिघात से पीडित लोगों के फोटो प्रदर्शित करने से जनता में सदमा और भय पैदा न करे और प्रतिशोध में 'अपराधों से घृणा' करे ।

3. राष्ट्र के प्रहरी के रूप में मीडिया सिविल सोसाइटी के अधिकारों के बचाव और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है । अपनी भारी पहुंच और शक्ति से मीडिया विश्व में कहीं भी मानव अधिकारों के किसी उल्लंघन पर प्रकाश डाल सकता है और प्राधिकारियों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक कर सकता है और लोगों को भी

जागरूक कर सकता है और उनके अधिकारों और ऐसे अधिकारों के अतिक्रमण के बारे में शिक्षित कर सकता है । ऐसे उल्लंघनों की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को निष्कपट, निष्पक्ष और सही रूप में वस्तुनिष्ठ होना चाहिए । घटनाओं की निष्कपट रिपोर्टिंग करने के अपने कार्य में सरकार, राजनीतिक दलों और आम संगठनों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए और समुचित उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देना चाहिए ।

4. आतंकवाद और विद्रोह के मामले में प्रिंट मीडिया या इलैक्ट्रानिक मीडिया अपने पर नियंत्रण रखेगा और इस संबंध में चिंतन करेगा ताकि मीडिया की रिपोर्ट के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो और जीवन की और हानि न हो, ऐसे स्थानों पर अनुभवी लोगों को तैनात किया जाना चाहिए, जो सभी पक्षों और घटनाओं के पहलुओं की निष्कपट और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग कर सकें । स्पष्ट रूप से आतंकवादियों द्वारा मनोवैज्ञानिक संघर्ष और मानव अधिकारों के उल्लंघन की सावधानी से तटस्थ रह कर और सम्पूर्ण जॉच की जानी चाहिए । ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके ।

5. मीडिया लोगों में कुछ मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में जागरूक कर सकता है, जिनमें मानव अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा भी शामिल है । जो मानव जाति के आधारभूत मूल्य हैं । शांति, अहिंसा, निशस्त्रीकरण, पारिस्थितिक संतुलन की अनुरक्षा और संवृद्धि और प्रदूषण रहित वातावरण और सभी के लिए मानव अधिकार सुनिश्चित करना, भले ही वे किसी भी जाति, रंग और मत के हों, मीडिया के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए ।

6. वाणिज्यिक हितों के अनुरूप मीडिया को चाहिए कि वह मुद्दों को संवेदनशील या रंगीन न बनाए ।

7. मीडिया को चाहिए कि वह चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका, संबंध और समर्पण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करे ताकि कई लोगों के कल्याण और भलाई के लिए उन्मुख समाज का कल्याण और हित हो सके । मीडिया तब ठोस भूमिका निभाता है जब यथार्थ आवाज उठाता है, जब दलित और शोषित, उदास और उपेक्षित गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करता है । पत्रकारों और मीडिया संगठनों को याद रखना चाहिए कि मीडिया कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं है । मीडिया का कारोबार और पत्रकारों का व्यवसाय, ऐसे मिशन से परिपूर्ण होता है जो मिशन चौथे स्तंभ के रूप में सतत मिशन है और लोकतंत्र का जीवंत भागीदार है । इस आदर्श मिशन के साथ किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है ।

8. अतः मीडिया का तर्क निष्पक्ष होना चाहिए । गरीबों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नेमी और दैनिक वास्तविकता के रूप में लिया जाता है । धनी लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर मीडिया उस पर बहुत ध्यान देता है । मानव अधिकारों के मुद्दे की रिपोर्टिंग में वर्गों के साथ पक्षपात को दूर करने की आवश्यकता है ।

9. सिविल सोसाइटी को प्रहरी के रूप में कार्य करना चाहिए । मीडिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन विद्यालय और महाविद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों का भाग होना चाहिए निचले स्तर पर सामाजिक दबाव मीडिया के लिए मानव अधिकारों की सोच प्रदान करेगा ।

10. प्राधिकारियों को चाहिए कि वे मानव अधिकारां की रक्षा के कार्य के महत्व और विधिमान्यता को स्वीकार करें, अतः ऐसे किसी भी व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करे, जो

'व्यक्तिगत रूप से और अन्य लोगों के साथ मिलकर' राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा और प्राप्ति को बढ़ावा देते है, और उसके लिए कार्य करते हैं, मानव अधिकारों के ऐसे रक्षकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जोखिम विशेष का मुकाबला करते हैं ।

11. ऐसे कानूनों और नीतियों का पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा मानव अधिकारों और मानव अधिकारों के रक्षकों की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है ।

12. संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया और अन्य अतंरराष्ट्रीय मानव अधिकार दोनों का उस स्थिति में पूरा उपयोग करते रहने का प्रयास किया जाना चाहिए जब मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही हो ।

13. अतिलक्ष्य वाले और संवेदनशील मानव अधिकार रक्षकों की स्थिति को हमेशा मॉनेटर किया जाना चाहिए और उनके कार्य का समर्थन अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य के संस्थानों के समक्ष हस्तक्षेप करके अभिव्यक्त किया जाना चाहिए ।

14. मीडिया को चाहिए कि वह शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्य करे, और विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते समय सावधानी और नियंत्रण बनाये रखे जिसमें टकराव होने की संभावना हो ।

15. निजता या वैयक्तिता की पवित्रता को तब तक बनाए रखा जाना चाहिए, जब तक उसे वाजिब जनहित में प्रकट करना आवश्यक न हो ।

अंतरराष्ट्रीय विचारगोष्ठी में इसकी समाप्ति पर:

यह रिकार्ड किया गया कि : भारतीय प्रेस परिषद् ने विभिन्न देशों के मीडिया कर्मियों, शिक्षाविदों, प्रेस/मीडिया परिषदों में विचारों और सूचना का आदान-प्रदान करने में सराहनीय प्रयास किए और सभी सुख-सुविधाएं उपलब्ध की ।

अभिव्यक्ति : यह विश्वास जताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की बैठकें मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पूरे विश्व में मीडिया के स्व-विनियमन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच उपलब्ध करेगा ।

अभिपुष्टि : वैश्वीकरण, पत्रकारिता और मानव अधिकार के वर्तमान युग में यह बैठक एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक परिवर्तन है । अच्छी पत्रकारिता लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा का एक सहायक उपाय है । मीडिया द्वारा ऐतिहासिक भूमिका निभाई जा सकती है और निभाई गई है, उससे केवल संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों द्वारा अंगीकृत मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने में ही मदद नहीं मिली है अपितु इसने इन अधिकारों के खिलाफ अतिक्रमण की रिपोर्टिंग के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में भी कार्य किया है ।

.....